न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 61/2022

अनवान : –

1. बनवारीलाल पुत्र मांगीराम जाति जाट निवासी चौबारा त0 भादरा।

प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री संजय गौस्वामी **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 27/3/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चौबारा के खाता सं0 87/89 के खसरा सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 की कुल 9.7410है0 जिसमें प्रार्थी का 1/60 हिस्सा व रोही मौजा चौबारा के ही खाता सं0 97/87 के खसरा सं0 22, 9 की कुल 15.5470है0 में प्रार्थी 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र मांगेराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम बनवारीलाल पुत्र मांगीराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम बनवारीलाल पुत्र मांगीराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। व तहसीलदार रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

Signature Not Verified

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त दोनों खातो में नन्दलाल पुत्र मांगेराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में नाम बनवारीलाल पुत्र मांगीराम है। अतः प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आधार कार्ड,

...न आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड ,प्रमाण पत्र सरपंच तथा मुताबिक रिपॉर्ट पटवार हल्का आदि में सही नाम बनवारीलाल पुत्र मांगीराम ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चौबारा के खाता सं0 87/89 के खसरा सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 की कुल 9.7410है0 जिसमें प्रार्थी का 1/60 हिस्सा व रोही मौजा चौबारा के ही खाता सं0 97/87 के खसरा सं0 22, 9 की कुल 15.5470है0 में प्रार्थी 1/20 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में **प्रार्थी के नाम नन्दलाल पुत्र मागेंराम की जगह प्रार्थी का सही नाम बनवारीलाल पुत्र मांगीराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।** यदि निकट भविष्य में प्रार्थी के नन्दलाल पुत्र मांगेराम से कोई आपाराधिक रिकार्ड अथवा किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र मांगेराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 27/3/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:43:15 IST
Reason: SelfAttested